भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 874
सोमवार, 7 फरवरी, 2022/18 माघ, 1943 (शक)

बेरोजगारी की दर

874. श्री महाबली सिंहः
श्री पशुपति नाथ सिंहः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में बेरोजगारी की राज्य-वार दर कितनी रही और क्या देश विशेषकर महिलाओं में बेरोजगारी की दर बढ़ रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान बेरोजगारी दर का लिंग-वार ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा प्रदान किए गए रोजगार के अवसरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में महिला बेरोजगारी दर अधिक है;

(घ) क्या सरकार ने झारखंड के औद्योगिक क्षेत्र में कोराना वैश्विक महामारी के दौरान उद्योगों में आर्थिक संकट से उत्पन्न गंभीर बेरोजगारी की स्थिति पर ध्यान दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त अवधि के दौरान इस क्षेत्र में अपनी नौकरी गंवाने वाले लोगों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में बेरोजगारी की समस्या को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क): वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार, वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं की सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित बेरोजगारी दर क्रमशः 5.6%, 5.1% एवं 4.2% थी। बेरोजगारी दर का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख) से (ङ) : पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की सामान्य स्थिति के आधार पर लिंग-वार अनुमानित बेरोजगारी दर निम्नानुसार है:

बेरोजगारी दर (यूआर) (% में)	ग्रामीण		शहरी	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
2017-18	5.7	3.8	6.9	10.8
2018-19	5.5	3.5	7.0	9.8
2019-20	4.5	2.6	6.4	8.9

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इस पैकेज में देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के अंग के रूप में सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार का सृजन करने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हानि के प्रतिस्थापन हेतु 1 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही यह योजना नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव को कम करती है एवं उन्हें और अधिक कर्मचारियों को कार्य पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि को 30 जून, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया गया है। 29.01.2022 तक 1.26 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 46.89 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

सरकार द्वारा स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) कार्यान्वित की जा रही है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत 21.01.2022 तक 32.12 करोड़ ऋण संस्वीकृत किए गए। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना में 60 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करने की क्षमता है।

सरकार ने 20 जून, 2020 को 125 दिनों का गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए) शुरू किया था ताकि बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 6 राज्यों के 116 चयनित जिलों में वापस लौटने वाले प्रवासी कामगारों तथा इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं सहित प्रभावित व्यक्तियों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दिया जा सके।इस अभियान ने झारखंड में 1.33 करोड़ मानव दिवस का रोजगार सृजन प्राप्त किया है।

पीएम गतिशक्ति आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण सात इंजनों, सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और रसद बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित है। यह दृष्टिकोण स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए नौकरी और उद्यमशीलता के विशाल अवसर पैदा होते हैं।

भारत सरकार पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है जिसमें रोजगार सृजन हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), ग्रामीण विकास मंत्रालय की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) एवं पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय करना शामिल है।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारों जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशीप कार्यक्रम भी रोजगार के अवसर सृजित करने के प्रति उन्मुख हैं।

*****

अनुबंध-I

लोक सभा के दिनांक 07-02-2022 के अतारांकित प्रश्न संख्या 874 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

सामान्य स्थिति दृष्टिकोण के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बेरोजगारी दर (% में)		
		2017-18	**2018-19**	**2019-20**
1	आंध्र प्रदेश	4.5	5.3	4.7
2	अरुणाचल प्रदेश	5.8	7.7	6.7
3	असम	7.9	6.7	7.9
4	बिहार	7.0	9.8	5.1
5	छत्तीसगढ	3.3	2.4	3.3
6	दिल्ली	9.4	10.4	8.6
7	गोवा	13.9	8.7	8.1
8	गुजरात	4.8	3.2	2.0
9	हरियाणा	8.4	9.3	6.4
10	हिमाचल प्रदेश	5.5	5.1	3.7
11	झारखंड	7.5	5.2	4.2
12	कर्नाटक	4.8	3.6	4.2
13	केरल	11.4	9.0	10.0
14	मध्य प्रदेश	4.3	3.5	3.0
15	महाराष्ट्र	4.8	5.0	3.2
16	मणिपुर	11.5	9.4	9.5
17	मेघालय	1.6	2.7	2.7
18	मिजोरम	10.1	7.0	5.7
19	नागालैंड	21.4	17.4	25.7
20	ओड़िशा	7.1	7.0	6.2
21	पंजाब	7.7	7.4	7.3
22	राजस्थान	5.0	5.7	4.5
23	सिक्किम	3.5	3.1	2.2
24	तमिलनाडु	7.5	6.6	5.3
25	तेलंगाना	7.6	8.3	7.0
26	त्रिपुरा	6.8	10.0	3.2
27	उत्तराखंड	7.6	8.9	7.1
28	उत्तर प्रदेश	6.2	5.7	4.4
29	पश्चिम बंगाल	4.6	3.8	4.6
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	15.8	13.5	12.6
31	चंडीगढ़	9.0	7.3	6.3
32	दादरा और नगर हवेली	0.4	1.5	3.0
33	दमन और दीव	3.1	0.0	2.9
34	जम्मू और कश्मीर	5.4	5.1	6.7
35	लद्दाख	-	-	0.1
36	लक्षद्वीप	21.3	31.6	13.7
37	पुड्डुचेरी	10.3	8.3	7.6
	अखिल भारत	**6.0**	**5.8**	**4.8**

स्रोत: पीएलएफएस 2017-18, 2018-19 और 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट, एमओएसएंडपीआई